

03/09/19

पञ्जवली पेश हुई अविद्यमान उक्त पक्ष उपस्थित
मि.सं-2 तथा उनके अविद्यमान बावपूर अल्पक के
उपस्थित नहीं। मुझे मूल प्र.सं. 13/13 (नि.सं.) में
दिनांक 03/09/19 को निर्णय पारित हो चुका है।
इस पञ्जवली में अब कोई कार्रवाई शेष नहीं
बचती है। निष्कर्ष: पञ्जवली के अल अुमार लेकर
मूल प्र.सं. 13/13 (नि.सं.) नि.दि. 03/09/19 के
आम संलग्न की जावे।



(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़